

संख्या- 6355 / 75-7-06-16(135) / 2006

प्रेषक,

शानू राम,
अनु. सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा क्षेत्र-2 अनुदान क्षेत्र,
प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुदान

विषय :- तत्संबन्धी स्कूल सीटिंग/सेक्टर-12 प्रताप विहार गाजियाबाद की सीटिंग/सेक्टर-12 नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 02-02-2007

नकोसम,

सम्बन्धित विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कदम का निवेदन हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय की सीटिंग/सेक्टर-12 नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अन्तर्गत अनापत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की संजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेदाधीन बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे और उनसे सम्बन्धित शिक्षा परिषद/क्षेत्रिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से नाममात्र प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धित सेक्टर बोर्ड आक सेक्टर-12 एजुकेशन नई दिल्ली/क्षेत्रिक आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिक्षण से संबन्धित प्राप्ति होने की स्थिति से सम्बन्धित शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त नाममात्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिस्तगत कर्मचारियों का राज्यीय सहायता प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य पदों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

Principal
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,
Ghaziabad (U.P.)

Manager
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,
Ghaziabad (U.P.)

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहामता प्राप्त असासकीय राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षकों के कर्मचारियों के अनुसन्ध सेवा नियुक्ति का काम उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यार्थी का रिकार्ड नियोजित प्रत्येक परीक्षाओं में रखा जायेगा ।
- (9) सेवा शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देरी या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(बबू राम)
अनु सचिव।

प्रमुखता प्राप्त दिनांक 5 तारीख

प्रतिष्ठान विन्निविद्धित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विभाग, निरीक्षक, गाजियाबाद ।
- 4- निरीक्षक, भारत की विद्यार्थी संघ, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, तपोस्थली स्कूल संयुक्त, सेक्टर-12 प्रताप विहार गाजियाबाद ।
- 6- गार्ड फुल ।

आशा है,
(बबू राम)
अनु सचिव।

Principal
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,
Ghaziabad (U.P.)

Manager
INDIRAPURAM PUBLIC SCHOOL
C-Block, Sector-12, Pratap Vihar,
Ghaziabad (U.P.)